

भारत सरकार  
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 5267  
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा दोहन के लिए योजना

5267. श्री भजन लाल जाटव: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजस्थान में नवीकरणीय सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता का दोहन करने के लिए मौजूद योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या राजस्थान के करौली-धौलपुर और भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जा रही है; और
- (ग) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) सरकार ने राजस्थान सहित देश में सौर ऊर्जा की संभाव्यता का दोहन करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। कार्यशील योजनाओं की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अधिकतर पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना निजी डेवलपर्स द्वारा की जाती है। वर्तमान में, तटवर्ती पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट योजना/कार्यक्रम नहीं है।

- (ख) और (ग): सरकार, राजस्थान के करौली-धौलपुर और भरतपुर संसदीय क्षेत्रों सहित देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन/सहायता प्रदान करती है। ऐसी योजनाओं के नाम और प्रोत्साहन/सहायता का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

‘सौर ऊर्जा दोहन के लिए योजना’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5267 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील योजनाओं की सूची

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तरीय की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।
2. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना।
3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए “राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम” नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
4. छोटे ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैंड-अलोन, सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरिकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बजत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंत में पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।
5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
6. जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए)।

## अनुलग्नक-II

‘सौर ऊर्जा दोहन के लिए योजना’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5267 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

### योजनाओं के नाम और प्रोत्साहन/सहायता का विवरण

| योजना/कार्यक्रम                     | योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन  |  |                              |   |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|---|
| क) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना | 1. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए सीएफए निम्नानुसार है:  |  |                              |   |
|                                     | क्र.सं.  | आवासीय खंड का प्रकार   | सीएफए                        | सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) |
|                                     | 1  | आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)   | 30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक | 33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक                    |
|                                     | 2  | आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)   | 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक | 19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक                    |
|                                     | 3  | आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)  | कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं      | कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं                         |
|                                     | 4  | समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)। | 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक | 19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक                    |
|                                     | 2. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में डिस्कों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है ताकि उन्हें अनुकूल विनियामक और प्रशासनिक तंत्र बनाने, कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य हासिल करने जैसी गतिविधियों में प्रेरित और मदद की जा सके। प्रोत्साहन, स्थापित आधार क्षमता के 10% से अधिक और 15% से कम क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 5% है; स्थापित आधार क्षमता के 15% से अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 10% है। |  |                              |   |
|                                     | 3. आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली (आरटीएस) की स्थापना को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर प्रयास करने के लिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को यूएलबी/पीआरआई के अधिकार क्षेत्र में आवासीय खंड में आरटीएस की प्रत्येक स्थापना के लिए 1000 रुपये की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके लिए उपभोक्ता को सीएफए हस्तांतरित कर दिया गया है।                              |  |                              |   |
|                                     | 4. इसके अतिरिक्त, देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान किया गया है, जिसमें पीएमएसजी: एमबीवाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।  |  |                              |   |

| योजना/कार्यक्रम   | योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन  |
|---|--|
| ख) पीएम-कुसुम योजना   | <p>घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना।</p> <p>उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है।</p> <p>घटक-ख: 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना।</p> <p>उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।</p> <p>घटक-ग: फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 35 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण।</p> <p>उपलब्ध लाभ: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।</p> <p>(ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है।</p> |
| ग) सौर पार्क योजना  | <p>(क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक।</p> <p>(ख) अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।</p>  |
| घ) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)। | प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।   |
| ड) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'  | <p>लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है:</p> <p>(i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा;</p>  |

| योजना/कार्यक्रम   | योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन   |  |  |  |  |         |   |   |  |     |  |   |  |                        |    |   |  |                     |     |  |
|---|---|--|--|--|--|---------|---|---|--|-----|--|---|--|------------------------|----|---|--|---------------------|-----|--|
|   | <p>(ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (दक्षता और अधिकतम विद्युत का ताप गुणांक (टेंपरेचर कोएफिशियेंट)); और</p> <p>(iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता।</p>   |  |  |  |  |         |   |   |  |     |  |   |  |                        |    |   |  |                     |     |  |
| च) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजाति और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए): | <ul style="list-style-type: none"><li>इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में एक लाख गैर-विद्युतीकृत घरों (एचएच) को ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के प्रावधान के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाएगा।</li><li>इस योजना में पीएम जनमन के तहत अनुमोदित पीवीटीजी क्षेत्रों में 1500 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) में ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रावधान शामिल है।</li><li>इसी प्रकार, इस योजना में डीए जेजीयूए के तहत स्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों के सौरीकरण का प्रावधान भी शामिल है। ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियां केवल वहीं प्रदान की जाएंगी जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है</li><li>पीएम जनमन और डीए जेजीयूए के अंतर्गत योजना के लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय निम्नानुसार है:</li></ul> <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>घटक</th><th>केन्द्रीय हिस्सा (100%)</th><th>अनुमोदित वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)</th><th>समयावधि</th></tr><tr><td>1</td><td>1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी एचएच के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रिड प्रणाली का प्रावधान</td><td>50,000 रु. प्रति एचएच अथवा वास्तविक लागत के अनुसार</td><td>500</td><td rowspan="2">वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26</td></tr><tr><td>2</td><td>सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान</td><td>1 लाख रु. प्रति एमपीसी</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण</td><td>1 लाख प्रति किलोवाट</td><td>400</td><td>वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29</td></tr></table> | क्र. सं.   | घटक                                      | केन्द्रीय हिस्सा (100%)                  | अनुमोदित वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में) | समयावधि | 1 | 1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी एचएच के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रिड प्रणाली का प्रावधान | 50,000 रु. प्रति एचएच अथवा वास्तविक लागत के अनुसार | 500 | वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 | 2 | सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान | 1 लाख रु. प्रति एमपीसी | 15 | 3 | ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण | 1 लाख प्रति किलोवाट | 400 | वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 |
| क्र. सं.  | घटक   | केन्द्रीय हिस्सा (100%)                            | अनुमोदित वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में) | समयावधि                                  |  |         |   |   |  |     |  |   |  |                        |    |   |  |                     |     |  |
| 1   | 1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी एचएच के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रिड प्रणाली का प्रावधान   | 50,000 रु. प्रति एचएच अथवा वास्तविक लागत के अनुसार | 500                                      | वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 |  |         |   |   |  |     |  |   |  |                        |    |   |  |                     |     |  |
| 2   | सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान  | 1 लाख रु. प्रति एमपीसी                             | 15                                       |  |  |         |   |   |  |     |  |   |  |                        |    |   |  |                     |     |  |
| 3   | ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण  | 1 लाख प्रति किलोवाट                                | 400                                      | वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 |  |         |   |   |  |     |  |   |  |                        |    |   |  |                     |     |  |
| छ) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना (अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए)   | <p>(क) जीईसी चरण-I: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।</p> <p>(ख) जीईसी चरण-II: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 33% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।</p>  |  |  |  |  |         |   |   |  |     |  |   |  |                        |    |   |  |                     |     |  |
| ज) बायोमास कार्यक्रम  | <p>(क) ब्रिकेट निर्माण संयंत्र के लिए: 9 लाख रु. प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन/घंटे) (अधिकतम सीएफए - 45 लाख रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ख) गैर-खोई सह-उत्पादन परियोजना के लिए: 40 लाख रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए - 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ग) उन पेलेट संयंत्रों के लिए जिनके आवेदन दिनांक 16.07.2024 से पहले प्राप्त हो गए हों: 9 लाख रु. प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन/घंटे) (अधिकतम सीएफए - 45 लाख रु. प्रति परियोजना)</p>  |  |  |  |  |         |   |   |  |     |  |   |  |                        |    |   |  |                     |     |  |

| योजना/कार्यक्रम               | योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन  |
|-------------------------------|--|
|                               | <p>(घ) उन पेलेट संयंत्रों के लिए जिनके आवेदन दिनांक 16.07.2024 को या उसके बाद प्राप्त हुए हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>गैर-टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र के लिए: 21 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 एमटीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 105 लाख रु. प्रति परियोजना)</li> <li>टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र के लिए: 42 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 एमटीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 210 लाख रु. प्रति परियोजना)</li> </ol>  |
| झ) बायोगैस कार्यक्रम          | <p>(क) लघु बायोगैस संयंत्रों (1-25 घन मीटर प्रति दिन क्षमता के संयंत्र) के लिए घन मीटर में संयंत्र के आकार के आधार पर प्रति संयंत्र 9,800/- रु. से 70,400/- रु.</p> <p>(ख) विद्युत उत्पादन के लिए प्रति किलोवाट 35,000/- रु. से 45,000/- रु. और थर्मल अनुप्रयोगों के लिए प्रति किलोवाट समतुल्य 17,500/- रु. से 22,500/- रु. (25-2500 घन मीटर प्रति दिन संयंत्र क्षमता)।</p> <p>पात्र सीएफए पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपसमूह, पंजीकृत गौशालाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए मानक सीएफए से 20% अधिक होगा।</p>   |
| ञ) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम | <p>(क) बायोगैस उत्पादन के लिए: 0.25 करोड़ रु. प्रति 12,000 घन मीटर प्रति दिन (अधिकतम सीएफए - 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ख) बायो-सीएनजी/संवर्धित बायोगैस/कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन:<br/>(अधिकतम सीएफए - 10 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>नए बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन - 4.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन</li> <li>मौजूदा बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन - 3.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन</li> </ol> <p>(ग) बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन: (अधिकतम सीएफए - 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.75 करोड़ रु. प्रति मेगावाट</li> <li>मौजूदा बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.5 करोड़ रु. प्रति मेगावाट</li> </ol> <p>(घ) जैव एवं कृषि औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन (दहन प्रक्रिया के जरिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को छोड़कर) के लिए: 0.40 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए - 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना)</p> <p>(ङ) विद्युत/थर्मल अनुप्रयोगों के लिए बायोमास गैसीफायर:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>विद्युत अनुप्रयोग के लिए ड्यूअल फ्यूअल इंजन के साथ 2,500/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य</li> <li>विद्युत अनुप्रयोग के लिए 100% गैस इंजन के साथ 15,000/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य</li> <li>थर्मल अनुप्रयोगों के लिए 2 लाख रु. प्रति 300 किलोवाट थर्मल समतुल्य</li> </ol> <p>नोट:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यदि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र विशेष श्रेणी वाले राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड), जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार</li> </ul> |

| योजना/कार्यक्रम                   | योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <p>द्वीपसमूह में स्थापित किए जाते हैं, पात्र सीएफए उपर्युक्त मानक सीएफए पैटर्न से 20% अधिक होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>गौशाला द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त उद्यमों/साझेदारी के जरिए स्थापित, मुख्य फीडस्टॉक के रूप में पशु गोबर पर आधारित बायोगैस/बायो-सीएनजी/विद्युत (बायोगैस आधारित) उत्पादन संयंत्र, मानक सीएफए पैटर्न से 20% से अधिक सीएफए के लिए पात्र होंगे। ये गौशाला (शेल्टर) संबंधित राज्य सरकार के पास पंजीकृत होने चाहिए।</li> </ul>  |
| ट) राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन | <ul style="list-style-type: none"> <li>इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए साइट कार्यक्रम के तहत 4,440 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। प्रोत्साहन की राशि प्रथम वर्ष में 4,440 रु. प्रति किलोवाट से शुरू होती है और पांचवें वर्ष में 1,480 रु. प्रति किलोवाट पर समाप्त होती है।</li> <li>ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इसके डेरिवेटिव्स के लिए साइट कार्यक्रम हेतु 13,050 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 50/कि.ग्रा. रु., 40/कि.ग्रा. रु. और 30/कि.ग्रा. रु. निर्धारित की गई है।</li> <li>ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए, उत्पादन एवं आपूर्ति के प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि 8.82 रुपए प्रति कि.ग्रा., उत्पादन एवं आपूर्ति के दूसरे वर्ष में 7.06 रुपए प्रति कि.ग्रा., तथा उत्पादन एवं आपूर्ति के तीसरे वर्ष में 5.30 रुपए प्रति कि.ग्रा. है।</li> </ul> </li> <li>वित्त वर्ष 2025-26 तक परिवहन क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पायलट परियोजनाओं का परिव्यय 496 करोड़ रु. है।</li> <li>वित्त वर्ष 2025-26 तक नौवहन क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं का परिव्यय 115 करोड़ रु. है।</li> <li>वित्त वर्ष 2029-30 तक इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं का परिव्यय 455 करोड़ रु. है।</li> <li>वित्त वर्ष 2025-26 तक हाइड्रोजन हब का परिव्यय 200 करोड़ रु. है।</li> <li>वर्ष 2025-26 तक मिशन के आर एंड डी कार्यक्रम का बजट 400 करोड़ रु. है।</li> <li>वित्त वर्ष 2029-30 तक मिशन के कौशल विकास घटक का परिव्यय 35 करोड़ रु. है।</li> <li>वर्ष 2025-26 तक मिशन के परीक्षण घटक का परिव्यय 200 करोड़ रु. है।</li> <li>वर्ष 2025-26 तक ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए नई एवं नवीन तकनीकों और आवेदनों का परिव्यय 200 करोड़ रु. है।</li> </ul> |
| ठ) आर एंड डी कार्यक्रम            | <p>मंत्रालय, उद्योग के सहयोग से अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास प्रस्तावों को बढ़ावा देता है और सरकारी/गैर-लाभ वाले अनुसंधान संगठनों को 100% और उद्योग, स्टार्ट-अप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और निर्माण इकाईयों को 70% वित्तीय सहायता देता है।</p>  |

\*\*\*\*\*